

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप संख्या-4/क्षेत्राविधि(आवंटन)-31/2012-

(4)/रा0 पटना-15, दिनांक-

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

विषय- संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों (लिपिक, राजस्व कर्मचारी, अमीन, प्रारूपक, जंजीरवाहक-सह-आदेशपाल, प्रोसेस पिऊन, चालक, भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्यालय में संविदा के आधार पर नियोजित कार्यपालक सहायक तथा आशुलिपिक) के पारिश्रमिक भुगतान हेतु मुख्य शीर्ष 2029 के तहत 2801 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद में कुल-4,22,96,000.00 (चार करोड़ बाइस लाख छियानवे हजार रू0) मात्र व्यय की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

2. राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्य शीर्ष-2029-भू-राजस्व-104- सरकारी सम्पदाओं का प्रबन्ध-0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय 2801 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ, माँग संख्या-40, विपत्र कोड-एन 2029001040001 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. राज्य के जिलों में संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों (लिपिक, राजस्व कर्मचारी, अमीन, प्रारूपक, जंजीरवाहक-सह-आदेशपाल, प्रोसेस पिऊन, चालक, भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्यालय में संविदा के आधार पर नियोजित कार्यपालक सहायक तथा आशुलिपिक) के मानदेय भुगतान हेतु जिला से प्राप्त माँग-पत्र के आधार पर संलग्न विवरणी के अनुसार राशि की स्वीकृति दी जाती है। उक्त राशि विपत्र कोड-एन-2029001040001 के अन्तर्गत स्वीकृत पद के विरुद्ध संविदा पर कार्यरत कर्मियों के लिए ही भुगतान होगा। आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

4. इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बन्धित जिला के समाहर्ता होंगे तथा राशि की निकासी सम्बन्धित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

6. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 वि0(2), दिनांक-17.04.1998 के आलोक में की जायेगी।

7. उक्त स्वीकृत राशि के व्यय के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-8025 दिनांक-21.05.2013 में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृ०पृ०उ०

8. स्वीकृत राशि से संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों (लिपिक, राजस्व कर्मचारी, अमीन, प्रारूपक, जंजीरवाहक-सह-आदेशपाल, प्रोसेस पिऊन, चालक, भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्यालय में संविदा के आधार पर नियोजित कार्यपालक सहायक तथा आशुलिपिक) के पारिश्रमिक का ही भुगतान किया जायेगा। इस राशि के व्यय के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय विवरणी निश्चित रूप से अगले माह की 7वीं तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. राशि का विचलन किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा।

अनु०-यथोक्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(व्यास जी),

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :- 343

(4)/रा०, पटना-15, दिनांक- 13-05-16

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी सम्बन्धित समाहर्ता/विभागीय प्रशाखा-5 (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।

(व्यास जी),

प्रधान सचिव।

फैक्स
ई-मेल

क्र०	जिला	स्वीकृत राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	सहरसा	200000	1125 / स्था० / 19.09.2015
2	सारण	1180000	245 / मु० / स्था० / 09.11.2015
3	बांका	365000	218 / रा० / 13.02.2016
4	पश्चिम चम्पारण	1439000	780 / रा० / 04.03.2016
5	समस्तीपुर	801000	44-45 / मु० / रा० / 16.02.2016
6	बेगुसराय	1815000	207 / रा० / 30.01.2016
7	शिवहर	1621000	191 / रा० / 04.03.2016
8	दरभंगा	768000	01 / मु० / रा० / 09.01.2016
9	गया	2269000	158 / मु० / रा० / 15.07.2015
10	भोजपुर	567000	112 / रा० / 21.01.2016
11	औरंगाबाद	2263000	28 / रा० / 07.01.2016 तथा 03 / मु० / रा० / 06.01.2016
12	मधुबनी	837000	1146 / जि० स्था० / 28.12.2015
13	शेखपुरा	896000	381 / 25.08.2015
14	अरवल	874000	336 / रा० / 20.04.2016
15	बक्सर	903000	03-3123 / रा० / 22.12.2015
16	वैशाली	200000	
17	किशनगंज	252000	1212 / जि० / रा० / 08.07.2015
18	पटना	962000	402 / स्था० / 04.01.2015
19	कैमूर	376000	1123 / रा० / 18.06.2015
20	जहानाबाद	1000000	1513 / स्था० / 20.12.2015 तथा 777 / स्था० / 19.06.2015
21	गोपालगंज	770000	611 / रा० / 15.03.2016
22	कटिहार	381000	644 / 18.05.2015
23	पूर्णियाँ	2193000	90 / स्था० / 10.01.2015
24	नालन्दा	4383000	502 / रा० / 13.02.2015 तथा 71 / स्था० / 20.01.2015
25	सीतामढ़ी	2122000	798 / 11.05.2015
26	सासाराम	1528000	1023 / रा० / 10.06.2015
27	खगड़िया	273000	646 / स्था० / 08.09.2015
28	मुंगेर	478000	49 / स्था० / 14.01.2016
29	सुपौल	200000	1397-2 / स्था० / 19.02.2015
30	जमुई	694000	107 / स्था० / 17.02.2016 तथा 844 / स्था० / 18.12.2015
31	भागलपुर	413000	224 / रा० / 22.01.2015 तथा 830 / रा० / 12.03.2016
32	मधेपुरा	1178000	765-2 / 28.08.2014
33	नवादा	428000	112 / 27.01.2016 तथा 374 / 21.11.2015
34	पूर्वी चम्पारण	5855000	02 / 05.01.2015 तथा 563 / 21.11.2015
35	अररिया	755000	1299 / 09.08.2014 तथा 180 / रा० / 02.02.2016
36	लखीसराय	200000	
37	सिवान	657000	1021 / स्था० / 29.12.2015
38	मुजफ्फरपुर	200000	
	कुल-	42296000	

(चार करोड़ बाईस लाख छियानवे हजार रु० मात्र)

अ.प.स.
(व्यास जी)
प्रधान सचिव।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप संख्या-4/क्षेत्रस्थाविधि(आवंटन)-31/2012-

(4)/रा0 पटना-15, दिनांक-

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

विषय- संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों (लिपिक, राजस्व कर्मचारी, अमीन, प्रारूपक, जंजीरवाहक-सह-आदेशपाल, प्रोसेस पिऊन, चालक, भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्यालय में संविदा के आधार पर नियोजित कार्यपालक सहायक तथा आशुलिपिक) के पारिश्रमिक भुगतान हेतु मुख्य शीर्ष 2029 के तहत 2801 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद में कुल-4,22,96,000.00 (चार करोड़ बाइस लाख छियानवे हजार रू0) मात्र व्यय की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

2. राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्य शीर्ष-2029-भू-राजस्व-104- सरकारी सम्पदाओं का प्रबन्ध-0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय 2801 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ, माँग संख्या-40, विपत्र कोड-एन 2029001040001 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. राज्य के जिलों में संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों (लिपिक, राजस्व कर्मचारी, अमीन, प्रारूपक, जंजीरवाहक-सह-आदेशपाल, प्रोसेस पिऊन, चालक, भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्यालय में संविदा के आधार पर नियोजित कार्यपालक सहायक तथा आशुलिपिक) के मानदेय भुगतान हेतु जिला से प्राप्त माँग-पत्र के आधार पर संलग्न विवरणी के अनुसार राशि की स्वीकृति दी जाती है। उक्त राशि विपत्र कोड-एन-2029001040001 के अन्तर्गत स्वीकृत पद के विरुद्ध संविदा पर कार्यरत कर्मियों के लिए ही भुगतये होगा। आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

4. इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बन्धित जिला के समाहर्ता होंगे तथा राशि की निकासी सम्बन्धित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

6. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 वि0(2), दिनांक-17.04.1998 के आलोक में की जायेगी।

7. उक्त स्वीकृत राशि के व्यय के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-8025 दिनांक-21.05.2013 में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृ०पृ०३०

8. स्वीकृत राशि से संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों (लिपिक, राजस्व कर्मचारी, अमीन, प्रारूपक, जंजीरवाहक-सह-आदेशपाल, प्रोसेस पिऊन, चालक, भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्यालय में संविदा के आधार पर नियोजित कार्यपालक सहायक तथा आशुलिपिक) के पारिश्रमिक का ही भुगतान किया जायेगा। इस राशि के व्यय के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय विवरणी निश्चित रूप से अगले माह की 7वीं तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. राशि का विचलन किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा।

अनु०-यथोक्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(व्यास जी),

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :-

(4)/रा०, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी सम्बन्धित समाहर्ता/विभागीय प्रशाखा-5 (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।

ह०/-

(व्यास जी),

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :-

343

(4)/रा०, पटना-15, दिनांक-13-05-16

✓आई०टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ। विभागीय वेब-साईट पर इसे प्रदर्शित कर दिया जाय।

अनु०-यथोक्त।

व्यास जी

(व्यास जी),

प्रधान सचिव।

फैक्स
ई-मेल

क्र०	जिला	स्वीकृत राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	सहरसा	200000	1125 / स्था० / 19.09.2015
2	सारण	1180000	245 / मु० / स्था० / 09.11.2015
3	बाँका	365000	218 / रा० / 13.02.2016
4	पश्चिम चम्पारण	1439000	780 / रा० / 04.03.2016
5	समस्तीपुर	801000	44-45 / मु० / रा० / 16.02.2016
6	बेगुसराय	1815000	207 / रा० / 30.01.2016
7	शिवहर	1621000	191 / रा० / 04.03.2016
8	दरभंगा	768000	01 / मु० / रा० / 09.01.2016
9	गया	2269000	158 / मु० / रा० / 15.07.2015
10	भोजपुर	567000	112 / रा० / 21.01.2016
11	औरंगाबाद	2263000	28 / रा० / 07.01.2016 तथा 03 / मु० / रा० / 06.01.2016
12	मधुबनी	837000	1146 / जि० स्था० / 28.12.2015
13	शेखपुरा	896000	381 / 25.08.2015
14	अरवल	874000	336 / रा० / 20.04.2016
15	बक्सर	903000	03-3123 / रा० / 22.12.2015
16	वैशाली	200000	
17	किशनगंज	252000	1212 / जि० / रा० / 08.07.2015
18	पटना	962000	402 / स्था० / 04.01.2015
19	कैमूर	376000	1123 / रा० / 18.06.2015
20	जहानाबाद	1000000	1513 / स्था० / 20.12.2015 तथा 777 / स्था० / 19.06.2015
21	गोपालगंज	770000	611 / रा० / 15.03.2016
22	कटिहार	381000	644 / 18.05.2015
23	पूर्णियाँ	2193000	90 / स्था० / 10.01.2015
24	नालन्दा	4383000	502 / रा० / 13.02.2015 तथा 71 / स्था० / 20.01.2015
25	सीतामढ़ी	2122000	798 / 11.05.2015
26	सासाराम	1528000	1023 / रा० / 10.06.2015
27	खगड़िया	273000	646 / स्था० / 08.09.2015
28	मुंगेर	478000	49 / स्था० / 14.01.2016
29	सुपौल	200000	1397-2 / स्था० / 19.02.2015
30	जमुई	694000	107 / स्था० / 17.02.2016 तथा 844 / स्था० / 18.12.2015
31	भागलपुर	413000	224 / रा० / 22.01.2015 तथा 830 / रा० / 12.03.2016
32	मधेपुरा	1178000	765-2 / 28.08.2014
33	नवादा	428000	112 / 27.01.2016 तथा 374 / 21.11.2015
34	पूर्वी चम्पारण	5855000	02 / 05.01.2015 तथा 563 / 21.11.2015
35	अररिया	755000	1299 / 09.08.2014 तथा 180 / रा० / 02.02.2016
36	लखीसराय	200000	
37	सिवान	657000	1021 / स्था० / 29.12.2015
38	मुजफ्फरपुर	200000	
	कुल-	42296000	

(चार करोड़ बाईस लाख छियानवे हजार रू० मात्र)

अ.प.स.
(व्यास जी)
प्रधान सचिव।